राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2011/2015/कोटा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, बांसवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पूंज लॉयड लिमिटेड, कोटा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 11/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 48/14–15/वैट/कोटा में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 25.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने संविदा कार्यों की पूर्ति के लिये पुरानी क्रेन गुजरात से राजस्थान में लायी जा रही थी तब यह माल स्टॉक ट्रांसफर के रूप में घोषणा करते हुए लाने से व्यवहारी द्वारा घोषणा पत्र वैट–47 संलग्न किया गया था जिसकी वैधता अवधि दिनांक 21.10.2013 तक होने से व अवधिपार होने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एवं घोषणा पत्र में ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रविष्ठि नहीं करने से वेट अधिनियम की धारा 76(2) का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपित किये जाने हेतु नोटिस जारी करने पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अज्ञानतावश भूल बताते हुए नया घोषणा पत्र जो दिनांक 16.04.2014 को जारी करवाया गया था उसे प्रस्तुत कर दिया गया परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकार कर शास्ति आरोपित की गई। आरोपित शास्ति के विरूद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त विवादित आदेश से इस आधार पर अपील स्वीकार की गयी कि अवधिपार घोषणा पत्र के प्रस्तुत किये जाने पर माननीय न्यायालयों के

लगातार.....2

विभिन्न निर्णयों में इसे एक तकनीकी भूल बताया है एवं ऐसे मामलों में शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक माना गया है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया।

4. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जहां एक और ट्रांसपोर्टर के कॉलम में प्रविष्ठि नहीं किया जाना एवं दूसरी ओर घोषणा पत्र के अवधिपार होने का आधार दिया गया है उस पर विचार किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि जो माल राज्य के बाहर से स्टॉक ट्रांसफर के रूप में लाया जा हा था वह खरीद बिक्री के अधीन न होकर पुरानी क्रेन को विभिन्न स्थानों पर उपयोग हेतु लाया जा रहा था जिसमें क्रय विक्रय का व्यवहार नहीं था। साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस संव्यवहार को परिवहन के दौरान अपने ट्रांसफर मीमो एवं स्वघोषणा व बिल्टी एवं वैट–47 के साथ लाया गया था। घोषणा पत्र वैट–47 का अवलोकन करने पर उसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा की जाने वाली समस्त प्रविष्ठियां कॉलम–बी में की हुई थी तथा इस क्रेन की वैल्यू भी घोषित की हुई थी। ऐसी स्थिति में आवश्यक प्रविष्ठियां की हुई थी, साथ ही कालातीत घोषणा पत्र परिज्ञान में लाये जाने पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नया घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया था। कालातीत घोषणा पत्रों के मामलों में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय **मंगलम टिम्बर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी बांसवाड़ा अपील संख्या 845/2011 निर्णय दिनांक 21.9.2015** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवचंन जोधपुर बनाम जे. के. इण्डस्ट्रीज कांकरोली (2002) 1 आर.टी. आर.26** जिसकी माननीय उच्चतम न्यायालय में **एस.एल.पी. संख्या 1211/2000** में पुष्टि की गयी है, उसमें यह अवधारित किया गया है कि कालातीत घोषणा पत्र एक तकनीकी त्रुटि है अतः इस आधार पर आरोपित शास्ति विधिसम्मत नहीं है एवं इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नवीन घोषणा पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा किया गया निर्णय न्यायसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। फलतः अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

11/5/2017

(के. एल. जैन)
सदस्य